संख्या– 68 /ए0पी0सी0–कैम्प/2020

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

कृषि, कृषि विपणन विभाग — लखनऊः दिनांकः 17 अप्रैल, 2020

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि कोविड–19, की रोकथाम हेतु लागू किये गये लॉकडाउन की अवधि 03 मई, 2020 तक बढ़ा दी गयी है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय के आदेशों के कम में 20 अप्रैल, 2020 से कई कार्यकलापों को ऐसे क्षेत्रों में आरम्भ करने की छूट दी गयी है जहां पर लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन हुआ हो और कोरोना का कोई केस न हो। 20 अप्रैल, 2020 से जिन गतिविधियों की अनुमति दी गयी है उसमें से कृषि व उससे सम्बन्धित गतिविधियां सम्मिलित हैं।

2. निर्धारित हॉट स्पाट के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर आवश्यक वस्तुएँ फल एवं सब्जी की आपूर्ति वर्तमान समय में डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। यह देखते हुए कि नगरीय क्षेत्र के आस–पास कृषक अपनी उपज लेकर अधिसूचित मण्डी परिसरों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय मण्डियों पर भी सीधे उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिये लाते थे परन्तु लॉकडाउन के कारण ज्यादातर ऐसी स्थानीय मण्डियों को जिला प्रशासन द्वारा बन्द कर दिया गया है।

अतः इसकी पुनः समीक्षा आवश्यक है कि क्या नियंत्रित तरीके से इन स्थानीय मण्डियों को संचालित किया जा सकता है जिसमें स्थानीय किसान अथवा फुटकर व्यापारी निश्चित दूरी बनाकर स्थापित हो सकें एवं उपभोक्ता सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए बिना भीड़ लगाये नियंत्रित तरीके से सामग्री को कय कर सके। यह रणनीति मण्डी परिषद की अधिसूचित मण्डियों में भीड़ कम करने के लिए भी कारगर होगी।

अतः कृपया वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व मण्डी के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करके दिनांक 19 अप्रैल, 2020 तक ऐसी कार्ययोजना बना लें जिसमें इस प्रकार के स्थानीय मण्डियों को 20 अप्रैल, 2020 के पश्चात नियंत्रित तरीके से खोला जा सके जिससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज की बिक्री करने और उपभोक्ताओं को फल–सब्जी प्राप्त करने में और सुविधा हो सके। अगर स्थानीय मण्डियों को चलने का पूर्व निर्धारित स्थान कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में उचित न हो तो वैकल्पिक रूप से किसी खुले स्थान पर या अन्य सार्वजनिक स्थान पर अस्थाई रूप इसे संचालित करने पर विचार किया जा सकता है।

विचार–विमर्श करने के पश्चात अपनी कार्ययोजना निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

कमांक	जनपद का नाम	कुल चिन्हित स्थानीय मण्डियों के नाम जिन्हें नियंत्रित तरीके से खोला जा सकता है	अनुमानित किसान/फुटकर विकता
1	2	3	4

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

Scanned with CamScanner